सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 123 / प्रा0पत्र / 2022 दायरा दिनांक :–16.06.2022

GCMS ID-2022 / 163

1. भीमराज आ0 बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज्ञ दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री अनिल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 25 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खाता संख्या 263 की भूमि खसरा संख्या 1489 रकबा 2.4281 कुल किता 1 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाके ग्राम सोरण पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा निहित है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम व जाति भीवा आ0 बद्री जाति चमार दर्ज हो रहा है। भूमि खाता संख्या 196 खसरा संख्या 535 रकबा 0.4452 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.4452 हैक्टेयर वाके ग्राम हरमाली का खेडा पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली में विस्थिति है, जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा निहित है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भीवा व पिता का नाम बजरंगा व जाति चमार दर्ज हो रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम भीमराज व प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम बद्रीलाल की जाति बैरवा है, जो प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदीयों में प्रार्थी का नाम व उसके पिता का नाम व जाति गलत दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कृषि योजना के तहत मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक्स आदि में प्रार्थी का नाम भीमराज आ0 बद्रीलाल व जाति बैरवा अंकित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमिया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में सहवन से प्रार्थी का नाम भीवा आ0 बद्री जाति चमार व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में भी सहवन से प्रार्थी का नाम भीवा व प्रार्थी के पिता का नाम बजरंगा व जाति चमार दर्ज हो रहे है, जो अवैध व निरस्तनीय योग्य है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदीयों में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दर्ज उक्त दोनों गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम भीमराज आ0 बद्रीलाल जाति बैरवा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी उक्त जमाबंदियों में गलत इन्द्राज को सही करवाने हेतु पटवारी साहब से सम्पर्क उन्होंने बताया कि तहसीलदार साहब ही उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करेगें तब प्रार्थी तहसीलदार साहब से मिला तो तब तहसीलदार साहब ने दिनांक 05.06.2022 को प्रार्थी से कहा कि न्यायालय से आदेश लाए बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त नही किया जा सकता है, यही बादउत्पत्ति का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में दर्ज प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम व प्रार्थी की जाति के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त जमाबंदियों में प्रार्थी का सही नाम भीमराज आ0 बद्रीलाल जाति बैरवा दर्ज करवावे एवं उक्त दोनो गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम भीमराज आ0 बद्रीलाल जाति बैरवा दर्ज करवावे। भूमिया वाके ग्राम सोरण व हरमाली का खेडा पटवारी सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि भूमि खाता संख्या 263 की भूमि खसरा संख्या 1489 रकबा 2.4281 कुल किता 1 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाके ग्राम सोरण पटवार मण्डल सोरणा व खाता संख्या 196 खसरा संख्या 535 रकबा 0.4452 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.4452 हैक्टेयर वाके ग्राम हरमाली का खेडा पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम व प्रार्थी की जाति के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर प्रार्थी का सही नाम भीमराज आ0 बद्रीलाल जाति बैरवा दर्ज कर राजस्त रिकॉर्ड की जमबंदीयों में प्रार्थी का सही नाम भीमराज आ0 बद्रीलाल जाति बैरवा दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :— राजस्व / 25 / 908 दिनांक :—02.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम सोरण के खाता संख्या 263 व ग्राम हरमाली का खेडा के खाता संख्या 196 में प्रार्थी का नाम / पिता का नाम / जाति ,भीवा पुत्र बजरंगा / भीवा पुत्र बद्री / जाति चमार दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा—ए—आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बर में दर्ज ,भीवा पुत्र बजरंगा व भीवा पुत्र बद्री एवं भीमराज पुत्र बद्रीलाल एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज ,भीवा पुत्र बजरंगा व भीवा पुत्र बद्री के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम भीमराज पुत्र बद्रीलाल जाति बैरवा दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम भीमराज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पुत्र बद्रीलाल जाति बैरवा है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, ड्राईविंग लाईसेंस, पेंशनर रसीद पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम भीमराज पुत्र बद्रीलाल जाति बैरवा दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम सोरण पटवार मण्डल सोरण के खाता संख्या 263 में दर्ज भीवा पुत्र बद्री जाति चमार के स्थान प्रार्थी का सही नाम भीमराज पुत्र बद्रीलाल जाति बैरवा व भूमि वाके ग्राम हरमाली का खेडा पटवार मण्डल सोरण के खाता संख्या 196 में दर्ज भीवा पुत्र बजरंगा के स्थान प्रार्थी का सही नाम भीमराज पुत्र बद्रीलाल जाति बैरवा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 25.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

25/08/2025

(शिवराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)